(घ) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर क्या थी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्र सरकार ने योजना सहायता के अतिरिक्त छठी तथा सातवीं योजना में संसाधन उपलब्ध कराए थे । पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन राजसहायता, केन्द्रीय निवेश राजसहायता तथा जिला उद्योग केन्द्र आदि द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को सीधी केन्द्रीय सहायता दी गई है । पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(रु० लाख में)

	1989-90	1990-91	1991-92
1. परिवहन राजसहायता	106.23	110.00	140.00
2. केन्द्रीय निवेश राजसहायता	179.60	—	—
3. डी० आई० सी० योजना	229.60	235.00	232.00
4. एस० एस० आई० एककों की गणना	19.71	27.41	12.19
5. विकास केन्द्र योजना	—	100.00	200.00
6. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	—	100.00	50.00
7. साथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर	—	—	50.00

(ङ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन राज्यवार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित नहीं करता है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समितियों को दिया गया कर्ज

1262. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीम अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की किन-किन समितियों को कितना-कितना कर्ज दिया और ऐसी समितियों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूचना दी है कि उसने खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों हेतु आबंटित निधियों में से अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लाभार्थियों को राज्य में उनकी जनसंख्या के भाग को आधार पर निधियां अलग करने के लिए अपने सभी कार्यान्वयन अभिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अपने विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए कुल ऋण इस प्रकार हैं :—

(रु० करोड़ में)

वर्ष	खादी ऋण	ग्रामोद्योग ऋण	योग
1990-91	23.88	87.70	111.58
1991-92	11.71	76.14	87.85

इसमें से लगभग 31% का वितरण अनु-जाति/अनु. जनजाति जनसंख्या को किया गया है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपने कार्य-क्रम 30 राज्य/संघ शासित क्षेत्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, 2320 पंजीकृत संस्थाओं, 29813 सहकारी समितियों तथा 5 लाख से अधिक व्यक्तियों के जरिए चलाता है । इसलिए समितियों के नाम और संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना मुश्किल है ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों का बकाया (बैकलाग)

1263. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीश अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 तक खादी ग्रामो-द्योग आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने बकाया पदों को भरा गया है; और

(ख) इन बकाया पदों के कब तक भर लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामो-द्योग आयोग द्वारा केन्द्रीय कार्यालय में 31-3-1993 तक भरे जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल बकाया पद इस प्रकार है :—

	राज-पत्रित	अराज-पत्रित
अनुसूचित जाति बकाया पद	1	31
अनुसूचित जनजाति बकाया पद	3	53
योग	4	84

बम्बई से बाहर स्थित खादी तथा ग्रामो-द्योग आयोग के अन्य कार्यालयों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के बकाया सभी पदों को विज्ञापन द्वारा तथा पैनल बनाकर पूरा करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आवश्यक कार्र-वाई की जा रही है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पहले के वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है ।

मुजफ्फरनगर की समितियों को दिया गया ऋण

1264. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीश अफजल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की समितियों को कितना ऋण दिया है; और

(ख) मुजफ्फरनगर जिले की किन-किन समितियों को ऋण दिया गया था ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की विभिन्न संस्थाओं/सहकारी समितियों को वितरित ऋण की राशि इस प्रकार है :—

(रुपए लाख में)

खादी ऋण	1.40
ग्रामोद्योग ऋण	7.30
योग :	8.70

संस्थाओं/सहकारी समितियों के नाम और और उनको दी गई राशि इस प्रकार है :—

क्रम० सं०	नाम	ऋण (रुपये लाख)
1.	बैसले ग्रामोद्योग समिति, चंदन, बुढाना	2.40
2.	ग्राम सेवा निकेतन, बक्कर, कासोदन	0.68
3.	ग्रामोद्योग विकास संस्थान, न्यू मंडल	2.40
4.	इन्दिरा ग्रामोद्योग समिति, सोटा	1.25
5.	ललिता ग्रामोद्योग संस्थान, पुरहाना	1.25
6.	तुनिया ग्रामोद्योग सेवा समिति, इलम खोर्ड	0.72
	योग	8.70